

हनुमानगढ़

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जायेगा। पट्टा की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किस्म का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना कर लेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तक पील चफ़तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 22-08-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



मिलान, विद्या

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
हनुमानगढ़